

क्रम-संख्या—165(क)



रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०/११/२०१४—१६

लाइसेन्स टू पोरट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिष्ठ

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 जुलाई, 2018

श्रावण 4, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

संख्या 1198 / 87—अतिरिक्त ऊर्जा विभाग

लखनऊ, 26 जुलाई, 2018

अधिसूचना

सा०प०नि०—७४

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 52 सन् 2001) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, ऊर्जा दक्षता व्यूरी के परामर्श से, उत्तर प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, 2018 के प्रारूप को अनुमोदित करते हैं और यह निदेश देते हैं कि अधिसूचना और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को अंगीकृत किया जाएगा।

राज्यपाल अग्रतर अनुमोदन करते हैं कि राज्य के ऐसे सरकारी भवनों का निर्माण, जिनके उभिकल्पन कार्य पूर्ण न किये गये हों, जो ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, 2018 के कार्यक्रम से आच्छादित हों, उत्तर प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, 2018 के अनुसार कराया जायेगा।

आज्ञा से
आलोक कुमार,
प्रमुख राजित।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1198/LXXXVII-Add. Energy Sources Deptt.-2018, dated July 26, 2018:

No. 1198/LXXXVII-Add. Energy Sources Deptt.-2018
Dated Lucknow, July 26, 2018

IN exercise of the powers conferred by section 15 of the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act no. 52 of 2001), the Governor, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, is pleased to approve the draft of Energy Conservation Building Code, 2018 and to direct that the notification and the procedure of implementation thereof shall be adopted.

The Governor is further pleased to approve that the construction of such Government buildings of the State of which designing work has not been completed, which are covered under the purview of Energy Conservation Building Code, 2018 shall be caused to be done in accordance with Energy Conservation Building Code, 2018.

By order,

ALOK KUMAR,

Pramukh Sachiv.